



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12082025-265387
CG-DL-E-12082025-265387

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 503]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 12, 2025/श्रावण 21, 1947

No. 503]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 12, 2025/SHRAVANA 21, 1947

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अगस्त, 2025

सा.का.नि. 547(अ).— केन्द्रीय सरकार, सिक्का निर्माण अधिनियम, 2011 (2011 का 11) की धारा 24 की उपधारा (2) के खंड (घ) और खंड (ड.) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सिक्का निर्माण (भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर का प्लैटिनम जयंती समारोह के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी करना) नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. सिक्के का मूल्यवर्ग.- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर का प्लैटिनम जयंती समारोह के अवसर पर केन्द्रीय सरकार के प्राधिकार के अधीन जारी करने के लिए एक साल में पचहत्तर रुपये मूल्य वर्ग का सिक्का ढाला जाएगा।

3. **सिक्के की विमाएं और संरचना.**- नियम 2 में उल्लिखित सिक्के की विमा निम्नलिखित विमाओं और संरचना के अनुरूप होगी, अर्थात्:-

सिक्के का मूल्यवर्ग	आकृति और बाह्य व्यास	दांतों की संख्या	धातु संरचना
(1)	(2)	(3)	(4)
पचहत्तर रुपये	वृत्ताकार 44 मिलीमीटर	200	शुद्ध चांदी चांदी- 99.9 प्रतिशत

4. **डिज़ाइन.**- सिक्के का डिज़ाइन वह होगा जो इन नियमों की पहली अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट होगा।

5. **मानक वजन और अनुज्ञात उपचार** - भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर का प्लैटिनम जयंती समारोह के अवसर को मनाने के लिए उपरोक्त मूल्य वर्ग के ढाले गए सिक्के का मानक वजन और ऐसे सिक्के को बनाने में अनुज्ञात उपचार वह होगा जो इन नियमों की दूसरी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट है।

पहली अनुसूची

(नियम 4 देखें)

पचहत्तर रुपये

अग्र भाग:

सिक्के के इस भाग पर मध्य में अशोक स्तम्भ का सिंह स्तम्भ शीर्ष होगा, जिसके नीचे “सत्यमेव जयते” लेख उत्कीर्णित होगा, उसकी बाईं परिधि पर देवनागरी लिपि में “भारत” शब्द और दाईं परिधि पर अंग्रेजी में “INDIA” शब्द होगा। सिंह स्तम्भ शीर्ष के नीचे रुपये का प्रतीक “₹” और अंतर्राष्ट्रीय अंकों में अंकित मूल्य “75” भी होगा।

पृष्ठ भाग:

सिक्के के इस भाग पर “भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर के प्लैटिनम जयंती समारोह” का लोगो अंकित होगा। सिक्के के ऊपरी भाग पर देवनागरी लिपि में “भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर” और निचले भाग पर अंग्रेजी में “INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY, KHARAGPUR” लिखा होगा। डिज़ाइन के निचले भाग पर अंतर्राष्ट्रीय अंकों में वर्ष “2025” लिखा होगा। इसके ऊपर देवनागरी लिपि में “प्लैटिनम जयंती” और देवनागरी लिपि के नीचे “PLATINUM JUBILEE” लिखा होगा।

दूसरी अनुसूची

(नियम 5 देखें)

सिक्के का मूल्यवर्ग	मानक वजन	अनुज्ञात उपचार	
		संयोजन में	मानक वजन में
(1)	(2)	(3)	(4)
पचहत्तर रुपये	40 ग्राम	प्रति 1000 में चांदी का 999अंश। चांदी के अंश में 999 और उसके ऊपर होगी।	1/8000वां हिस्सा जमा या घटा अर्थात् वजन 39.995 ग्राम से 40.005 ग्राम तक हो सकता है।

[फा. सं. 02/14/2025- सिक्का]

अपर्णा भाटिया, सलाहकार

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th August, 2025

G.S.R. 547(E).— In exercise of the powers conferred by clauses (d) and (e) of sub-section (2) of section 24 of the Coinage Act, 2011(11 of 2011), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. **Short title and commencement.** - (1) These rules may be called the Coinage (Issue of Commemorative Coin on the occasion of Platinum Jubilee Celebration of Indian Institute of Technology, Kharagpur) Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Denomination of coin.**- The coin of Seventy Five Rupees denomination shall only be coined at the Mint for issue under the authority of the Central Government to commemorate on the occasion of Platinum Jubilee Celebration of Indian Institute of Technology, Kharagpur.

3. **Dimension and composition of coin.**- The denomination of the coin mentioned in rule 2 shall conform to the following dimensions and composition, namely: -

Denomination of coin	Shape and outside diameter	Number of serrations	Metal composition
(1)	(2)	(3)	(4)
Seventy-Five Rupees	Circular 44 millimeters	200	Pure Silver Silver - 99.9 per cent.

4. **Design.**- The design of the coin shall be as specified in the First Schedule annexed to these rules.

5. **Standard weight and remedy allowed.**- The standard weight of the coin of denomination referred in rule 2 to commemorate the occasion of Platinum Jubilee Celebration of Indian Institute of Technology, Kharagpur and the remedy allowed in making of such coin shall be as specified in the Second Schedule annexed to these rules.

THE FIRST SCHEDULE

[See rule 4]

SEVENTY FIVE RUPEES

OBVERSE:

This face of the coin shall bear the Lion Capital of Ashoka Pillar in the centre with the legend “सत्यमेव जयते” inscribed below, flanked on the left periphery with the word “भारत” in Devnagri script and on the right periphery with the word “INDIA” in English. It shall also bear the Rupee symbol “₹” and denominational value “75” in the international numerals below the Lion Capital.

REVERSE:

This face of the coin shall bear the logo of “Platinum Jubilee Celebration of Indian Institute of Technology, Kharagpur”. The inscription “भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर” shall be written in Devanagari script on the upper periphery of the coin and the inscription “INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY, KHARAGPUR” in English shall be written on the lower periphery of the coin. The year “2025” shall be written in international numerals on the lower side of the design. Above it, the text “प्लैटिनम जयंती” shall be written in Devanagari script, and “PLATINUM JUBILEE” shall be placed below the Devanagari script.

THE SECOND SCHEDULE**[See rule 5]**

Denomination of coin	Standard weight	Remedy allowed	
		In composition	In standard weight
(1)	(2)	(3)	(4)
Seventy-Five Rupees	40 Grams	999 parts of silver per 1000. The tolerance for Silver content shall be 999 and above.	1/8000th plus or minus that is to say weight could be 39.995 grams to 40.005 grams.

[F. No. 02/14/2025-Coin]

APARNA BHATIA, Adviser